बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 30.06.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन 'हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम' के तहत सोन नहर प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत बक्सर शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों पुनर्स्थापन कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2024-25 में समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी – ऑनलाईन

कार्य की विवरणी :–

(i)	कार्य का नाम	:	बक्सर शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य।
(ii)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	2991.51 लाख रूपये, विभागीय पत्रांक 1021 दिनांक 05.07.2024
(iii)	एकरारनामा सं०	:	01SBD/2024-25, दिनांक 13.09.2024
(iv)	एकरारित राशि	:	2959.05535 लाख रूपये
(v)	संवेदक का नाम	:	मे० त्रिकुटा वासिनी इन्फ्राटेक प्रा० लि०, पटना
(vi)	कार्य प्रारंभ की तिथि	:	13.09.2024
(vii)	कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि	:	31.12.2025
(viii)	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	:	30.03.2026
(ix)	कार्य की अद्यतन स्थिति	:	96.30% (कार्य पूर्ण)
(x)	प्रस्तावित समय वृद्धि	:	30.03.2026
(xi)	प्रमंडल का नाम	:	सोन नहर प्रमंडल, बक्सर

समीक्षा :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन 'हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम' के तहत सोन नहर प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत बक्सर शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2024-25, के समयवृद्धि हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 1187 दिनांक 07.04.2026 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई।

संवेदक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित किया गया है कि समयवृद्धि होने के उपरांत उनके द्वारा विस्तारित अवधि में Price Escalation का कोई वित्तीय दावा नहीं किया जायेगा।

समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यतः निम्न कारणों से एकरारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका :–

(i) एकरारनामा के पश्चात नहरों में खरीफ एवं रब्बी फसल हेतु जलप्रवाह के कारण दिनांक 13.09.2024 से दिनांक 15.11.2024 तक, दिनांक 29.12.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक, दिनांक 11.06.2025 से दिनांक 12.11.2025 तक एवं दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 16.03.2026 तक यथा कुल 390 दिन कार्य बाधित होना।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य गुणवता एवं विशिष्टियों के अनुरुप करा लिया गया है तथा समय वृद्धि की स्वीकृति से संबंधित विभागीय आदेश संख्या–197 दिनांक 14.03.2016 के कंडिका–1.2 में SBD के कंडिका–5.2 के प्रावधानों की व्याख्या की गई है, जिसके कंडिका–1.2.4 में "नहर के पुनर्स्थापन कार्य की स्थिति में खरीफ, रब्बी, गरमा अथवा छठ पर्व हेतु जलापूर्त्ति के कारण प्रभावित कार्य दिवस." का उल्लेख किया गया है, जिसके आलोक में विवरणी निम्नवत् है:–

कार्यकारी अवधि की गणना		
(1)	एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि (दिनांक 13.09.2024 से 31.12.2025)	475 दिन
(2)	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि (दिनांक 13.09.2024 से 30.03.2026)	564 दिन
(3)	कुल बाधित अवधि	390 दिन
(4)	कार्यकारी अवधि (2–3)	174 दिन

उपरोक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा उक्त एकरारनामा अंतर्गत दिनांक 30.03.2026 तक समयवृद्धि दिये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है।

<u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :–

सम्यक समीक्षोपरान्त् 'हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम' के तहत बक्सर शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य एकरारनामा सं०–01SBD/2024-25 में दिनांक 30.03.2026 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आलोक में समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार सिंह) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी	(अरविन्द कुमार वर्मा) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना	(ब्रजेश मोहन) अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, पटना	(चन्द्रशेखर सिंह) सचिव जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–3/25–I– 1550 पटना, दिनांक : 01/07/2026

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो० एवं मो० अंचल०–3, पटना।

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–3/25–I– 1550 पटना, दिनांक : 01/07/2026

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो० एवं मो० अंचल०–3, पटना।